रजिस्ट्री सं. डी.एल.–33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L.-33002/99

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र

सत्यमेव जयते

Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 114] दिल्ली, बुधवार, जून 19, 2019/ज्येष्ठ 29, 1941 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 71

No. 114] DELHI, WEDNESDAY, JUNE 19, 2019/JYAISTHA 29, 1941 [N.C.T.D. No. 71

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

समाज कल्याण विभाग

(आर्थिक सहायता अनुभाग)

अधिसूचना

दिल्ली, 18 जून, 2019

सं.फा. 3(1)/एफएएस/यूएपीडब्ल्यूडी/डीएसडब्ल्यू/06–07/पा.–1/161–173.– राश्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिनांक 4 नवम्बर, 2009 की अधिसूचना संख्या फा0 03(01)/एफएएस/यूएपीडब्ल्यूडी/ डीएसडब्ल्यू/06–07/1880–18891 के राजपत्र में यथा प्रकाशित ''विशेष आवश्यकता में व्यक्तियों को आर्थिक सहायता, 2009'' के नियम में तथा उत्तरवर्ती संशोधनों में जिसमें दिनांक 19 दिसम्बर, 2018 की अधिसूचना संख्या 03(01)/एफएएस/ यूएपीडब्ल्यूडी/डीएसडब्ल्यू/06–07/32211–223 द्वारा किये गये अंतिम संशोधन भी शामिल है, में निम्नलिखित संशोधन करती हैः–

नियम 3 (आई) में संशोधन

विशेष आवश्यकता में व्यक्तियों को आर्थिक सहायता, 2009 दिनांक 4 नवम्बर, 2009 के नियम 3 (आई) में यथाउल्लिखित दिव्यांगता की परिभाषा को निम्नलिखित परिभाषा द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा–

1. **शारीरिक दिव्यांगता** –

(अ) गतिविषयक दिव्यांगता (सुनिश्चित गतिविधियों को करने में किसी व्यक्ति की असमर्थता जो स्वयं और वस्तुओं की गतिशीलता से सहबद्ध है जिसका परिणाम पेशीकंकाल और तंत्रिका प्रणाली या दोनों में पीड़ा है), जिसके अंतर्गत ––

(क) ''कुष्ठ रोगमुक्ति व्यक्ति'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो कुष्ठ से रोगमुक्त हो गया है किन्तु निम्नलिखित से पीड़ित है–

(i) हाथ या पैरों में सुग्राहीकरण का **ह्रास** के साथ–साथ आंख और पलक में सुग्राहीकरण का **ह्रास** और आंशिक घात किन्तु व्यक्त विरूपता नहीं है;

(ii) व्यक्त विरूपता और आंशिक घात किन्तु उसके हाथों और पैरों में पर्याप्त गतिशीलता है जिससे वह सामान्य व्यावसायिक क्रियाकलापों में लगे रहने के लिए सक्षम है;

(iii) अत्यंत शारीरिकि विरूपता के साथ–साथ वृद्ध जो उसे कोई लाभप्रद व्यवसाय करने से निवारित करती है और ''कृष्ठ रोगमुक्त व्यक्ति'' पद का तद्नुसार अर्थ लगाया जाएगा;

(ख) ''प्रमस्तिष्क घात'' से कोई गैर प्रगामी तन्त्रिका स्थिति का समूह अभिप्रेत है जो शरीर के संचलन को और पेशियों के समन्वयन को प्रभावित करती है, जो मस्तिष्क के एक या अधिक विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में क्षति के कारण उत्पन्न होता है जो साधरणतः जन्म से पूर्व, जन्म के दौरान या जन्म के तुरंत पश्चात् होता है;

(ग) ''बौनापन'' से कोई चिकित्सीय या आनुवांशिक दशा अभिप्रेत है जिसके परिणामस्वरूप किसी वयस्क व्यक्ति की लंबाई चार फीट 10 इंच (147 से.मी.) या उससे कम रह जाती है;

(घ) ''पेशीयदुष्पोषण'' से वंशानुगत, आनुवांशिक पेशों रोग का समूह अभिप्रेत है जो मानव शरीर को संचलित करने वाली पेशियों को कमजोर कर देता है और बहुदुष्पोषण के रोगी व्यक्तियों के जीन में वह सूचना अशुद्ध होती है या नहीं होती है जो उन्हें उस प्रोटीन को बनाने से निवारित करती है जिसकी उन्हें स्वस्थ पेशियों के लिए आवश्यकता होती है, इसको विशेषता प्रगामी कंकाल पेशी की कमजोरी, पेशी प्रोटीनों में त्रुटि और पेशी कोशिकाओं और टिशुओं की मृत्यु है;

(ङ) ''तेजाबी आक्रमण पीड़ित'' से तेजाब या समान संक्षारित पदार्थ को फेंककर किए गए हिंसक हमले के कारण विदूषित कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

(आ) **दृष्टिगत ह्रास** ––

(क) ''अंधता'' से ऐसी दशा अभिप्रेत है जिसमें सर्वोत्तम सुधार के पश्चात् व्यक्ति में निम्नलिखित स्थितियों में से कोई एक स्थिति विद्यमान होती है––

(i) दृष्टि का पूर्णतया अभाव; या

(ii) सर्वाधिक संभव सुधार के साथ बेहतर आंख में दृष्टि सुतीक्षणता 3/60 से कम या 10/200 (स्नेलन) से कम; या

(iii) 10 डिग्री से कम के किसी कोण पर कक्षांतरित दृष्य क्षेत्र की परिसीमा;

(ख) ''निम्न दृष्टि'' से ऐसे स्थिति अभिप्रेत है जिसमें व्यक्ति की निम्नलिखित में से कोई एक स्थिति होती है, अर्थात् :–

(i) बेहतर आंख में सर्वाधिक संभव सुधार के साथ 6/18 से अनधिक या 20/60 से कम से 3/60 तक या 10/200 (स्नेलन) तक दृश्य सुतीक्षणता; या

(ii) 40 डिग्री से कम से 10 डिग्री तक की कक्षांतरित दृश्य क्षेत्र की परिसीमा;

(इ) **''श्रवण शक्ति का ह्रास''**–

(क) ''बधिर'' से दोनों कानों में संवाद आवृत्तियों में 70 डेसिबिल श्रव्य ह्रास वाले व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ख) ''ऊंचा सुनने वाला व्यक्ति'' से दोनों कानों से संवाद आवृत्तियों में 60 डेसिबिल से 70 डेसिबिल श्रव्य ह्रास वाला व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ई) ''**वाक् और भाषा दिव्यांगता**'' से लेराइनजेक्टोमी या अफेलिया जैसी स्थिति से उद्भूत स्थायी दिव्यांगता अभिप्रेत है जो कार्बनिक या तंत्रिका संबंधी कारणों के कारण वाक् और भाषा के एक या अधिक संघटकों को प्रभावित करती है।

2. ''**बौद्धिक दिव्यांगता**'' से ऐसी स्थिति, जिसको विशेषता बौद्धिक कार्य (तार्किक, शिक्षण, समस्या, समाधान) और अनुकूलित व्यवहार, दोनों में महत्वपूर्ण कमी होना है, जिसके अंतर्गत दैनिक सामाजिक और व्यवहार्य कौशलों की रेंज है, जिसके अंतर्गत––

(क) ''**विनिर्दिष्ट विद्या दिव्यांगताओं**'' से स्थितियों का एक ऐसा विजातीय समूह अभिप्रेत है जिसमें भाषा को बोलने या लिखने की प्रक्रिया द्वारा आलेखन करने की कमी विद्यमान होती है जो समझने, बोलने, पढ़ने, लिखने, अर्थ निकालने या गणितीय गणना करने में कमी के रूप में सामने आती है और इसके अंतर्गत बोधक दिव्यांगता डायसेलक्सिया, डायसग्राफिया, डायसकेलकुलिया, डायसप्रेसिया और विकासात्मक अफेरिया जैसी स्थिति भी है;

(ख) ''**स्वपरायणता स्पैक्ट्रम विकार**'' से एक ऐसी तंत्रिका विकास की स्थिति अभिप्रेत है जो विशिष्टत' जीवन के पहले तीन वर्ष में उत्पन्न होती है, जो व्यक्ति को संपर्क करने की, संबंधों को समझने की और दूसरों से संबंधित होने की क्षमता को अत्यधिक प्रभावित करती है और आमतौर पर यह अप्रायिक या घिसे–पिटे कर्मकांडों या व्यवहार से सहबद्ध होता है।

3. **मानसिक व्यवहार––**

''**मानसिक रूग्णता**'' से चिंतन, मनोदशा, बोध, अभिसंस्करण या स्मरणशक्ति का अत्यधिक विकार अभिप्रेत है जो जीवन की साधारण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समग्र रूप से निर्णय, व्यवहार, वास्तविकता की पहचान करने की क्षमता या योग्यता को प्रभावित करता है किन्तु जिसके अंतर्गत मानसिक मंदता नहीं है जो किसी व्यक्ति के मस्तिष्क का विकास रूकने या अपूर्ण होने की स्थिति है, विशेषकर जिसकी विशिष्टता बुद्धिमता का सामान्य से कम होना है।

4. **निम्नलिखित के कारण दिव्यांगता––**

(क) **चिरकारी तंत्रिका दशाएं, जैसे––**

(i) ''**बहु–स्केलेरोसिक**'' से प्रवाहक, तंत्रिका प्रणाली रोग अभिप्रेत है जिसमें मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिकाओं के अक्ष तंतुओं को चारों और रीढ़ की हड्डी की मायलिन सीथ क्षतिग्रस्त हो जाती हौ जिससे डिमायीलिनेशन होता है और मस्तिष्क में तंत्रिका कोशिकाओं और रीढ़ की हड्डी की कोशिकाओं की एक–दूसरे के साथ संपर्क करने की क्षमता प्रभावित होती है;

(ii) ''**पार्किसन रोग**'' से कोई तंत्रिका प्रणाली का प्रगामी रोग अभिप्रेत है जो कम्प, पेशी कठोरता और धीमा कठिन संचलन द्वारा चिह्नाकिंत होता है जो मुख्यतया मस्तिष्क के आधारीय गंडिका के अद्यपतन तथा तंत्रिका संचलन डोपामई के ह्रास से संबद्ध मध्य आयु और वृद्ध व्यक्तियों को प्रभावित करता है;

(ख) **रक्त विकृति––**

(i) ''**हेमोफीलिया**'' से एक अनुवंशकीय रोग अभिप्रेत है जो प्रायः पुरूषों को ही प्रभावित करता है किंतु इसे महिला द्वारा अपने नर बालकों को संचारित किया जाता है, इसको विशेषता रक्त के थक्का जमने की साधारण क्षमता का नुकसान होना है जिससे छोटे से धाव का परिणाम भी घातक रक्तस्राव हो सकता है;

(ii) ''**थेलेसीमिया**'' से वंशानुगत विकृतियों का एक समूह अभिप्रेत है जिसकी विशेषता हिमोग्लोबिन की कमी या अभाव है;

(iii) ''**सिक्कल कोशिका रोग**'' से होमोलेटिक विकृति अभिप्रेत है जो रक्त की अत्यंत कमी, पीड़ादायक घटनाओं और जो सहबद्ध टिशुओं और अंगों को नुकसान से विभिन्न जटिलताओं में परिलक्षित होता है; ''हेमोलेटिक'' लाल रक्त कोशिकाओं को कोशिका झिल्लों के नुकसान को निर्दिष्ट करता है जिसका परिणाम हिमोग्लोबिन का निकलना होता है।

5. **बहुदिव्यांगता** (उपर्युक्त एक या एक से अधिक विनिर्दिष्ट दिव्यांगताएं) जिसके अंतर्गत बधिरता, अंधता, जिससे कोई ऐसी दशा जिसमें किसी व्यक्ति के श्रव्य और दृश्य के सम्मिलित ह्रास के कारण गंभीर संप्रेषण, विकास और शिक्षण संबंधी गंभीर दशाएं अभिप्रेत हैं।

उपरोक्त संशोधन अधिसूचना के माह की तारीख से प्रभावी होंगे।

शिल्पा शिंदे, निदेशक

DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE

(FINANCIAL ASSISTANCE SECTION)

NOTIFICATION

Delhi, the 18th June, 2019

F 3(1)/FAS/UAPWD/DSW/06-07/Pt-I/161-173.—The Government of NCT of Delhi is pleased to make the following amendment in the rules in 'Financial Assistance to Persons with Special Needs, 2009' as published in the Delhi Gazette vide Notification No. F 3(1)/FAS/UAPWD/DSW/06-07/1880-18891 dated November 04, 2009 and subsequent amendments including last amendment vide notification no. F 3(1)/FAS/UAPWD/DSW/06-07/Pt-I/32211-223 dated December 19, 2018:-

Amendment to Rule 3 (j)

The definition of Disability as mentioned in Rule 3 (j) of the Financial Assistance to Persons with Special Needs, 2009 dated November 04, 2009, will be replaced by the following definition –

"**Specified Disability**" means-

1. **Physical disability**-
   A. **Locomotor disability** (a person's inability to exercise distinctive activities associated with movement of self and object resulting from affliction of musculoskeletal or nervous system or both), including-
      (a) "**Leprosy cured person**" means a person who has been cured of leprosy but is suffering from-
         (i) loss of sensation in hands or feet as well as loss of sensation and paresis in the eye and eye-lid but with no manifest deformity;
         (ii) manifest deformity and paresis but having sufficient mobility in their hands and feet to enable them to engage in normal economic activity;
         (iii) extreme physical deformity as well as advanced age which prevents him/her from undertaking any gainful occupation, and the expression "leprosy cured" shall be construed accordingly;
      (b) "**Cerebral palsy**" means a Group of non-progressive neurological condition affecting body movements and muscle coordination, caused by damage to one or more specific areas of the brain, usually occurring before, during or shortly after birth;
      (c) "**Dwarfism**" means a medical or genetic condition resulting in an adult height of 4 feet 10 inches (147 centimeters) or less;
      (d) "**Muscular dystrophy**" means a group of hereditary genetic muscle disease that weakens the muscles that move the human body and persons with multiple dystrophy have incorrect and missing information in their genes, which prevents them from making the proteins they need for healthy muscles. It is characterised by progressive skeletal muscle weakness, defects in muscle proteins, and the death of muscle cells and tissue;
      (e) "**Acid attack victims**" means a person disfigured due to violent assaults by throwing of acid or similar corrosive substance.

   B. **Visual impairment**-
      (a) "**Blindness**" means a condition where a person has any of the following conditions, after best correction-
         (i) Total absence of sight; or
         (ii) Visual acuity less than 3/60 or less than 10/200 (Snellen) in the better eye with best possible correction; or
         (iii) Limitation of the field of vision subtending an angle of less than 10 degree.
      (b) "**Low-vision**" means a condition where a person has any of the following conditions, namely:-
         (i) Visual acuity not exceeding 6/18 or less than 20/60 upto 3/60 or upto 10/200 (Snellen) in the better eye with best possible corrections; or
         (ii) Limitation of the field of vision subtending an angle of less than 40 degree up to 10 degree.

   C. **Hearing impairment**-
      (a) "**Deaf**" means persons having 70DB hearing loss in speech frequencies in both ears;
      (b) "**Hard of hearing**" means person having 60DB to 70DB hearing loss in speech frequencies in both ears;

   D. "**Speech and language disability**" means a permanent disability arising out of conditions such as laryngectomy or aphasia affecting one or more components of speech and language due to organic or neurological causes.

2. **Intellectual disability**, a condition characterised by significant limitation both in intellectual functioning (reasoning, learning, problem solving) and in adaptive behaviour which covers a range of every day, social and practical skills including-
   (a) "**Specific learning disabilities**" means a heterogeneous group of conditions wherein there is a deficit in processing language, spoken or written, that may manifest itself as a difficulty to

comprehend, speak, read, write, spell or to do mathematical calculations and includes such conditions as perceptual disabilities, dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, dyspraxia and developmental aphasia;

(b) "**Autism spectrum disorder**" means a neuro-developmental condition typically appearing in the first three years of life that significantly affects a person's ability to communicate, understand relationships and relate to others, and is frequently associated with unusual or stereotypical rituals or behaviours.

3. **Mental behaviour**-

"**Mental illness**" means a substantial disorder of thinking, mood, perception, orientation or memory that grossly impairs judgment, behaviour, capacity to recognise reality or ability to meet the ordinary demands of life, but does not include retardation which is a condition of arrested or incomplete development of mind of a person, specially characterised by subnormality of intelligence.

4. Disability caused due to-

(a) **Chronic neurological conditions**, such as-

(i) "**Multiple sclerosis**" means an inflammatory, nervous system disease in which the myelin sheaths around the axons of nerve cells of the brain and spinal cord are damaged, leading to demyelination and affecting the ability of nerve cells in the brain and spinal cord to communicate with each other;

(ii) "**Parkinson's disease**" means a progressive disease of the nervous system marked by tremor, muscular rigidity, and slow, imprecise movement, chiefly affecting middle-aged and elderly people associated with degeneration of the basal ganglia of the brain and a deficiency of the neurotransmitter dopamine.

(b) **Blood disorder**-

(i) "**Haemophilia**" means an inheritable disease, usually affecting only males but transmitted by women to their male children, characterised by loss or impairment of the normal clotting ability of blood so that a minor wound may result in fatal bleeding;

(ii) "**Thalassemia**" means a group of inherited disorders characterised by reduced or absent amounts of haemoglobin;

(iii) "**Sickle cell disease**" means a haemolytic disorder characterised by chronic anemia, painful events, and various complications due to associated tissue and organ damage; "haemolytic" refers to the destruction of the cell membrane of red blood cells resulting in the release of haemoglobin.

5. **Multiple disabilities** (more than one of the above specified disabilities), including deaf blindness which means a condition in which a person may have combination of hearing and visual impairments, causing severe communication, developmental, and educational problems.

The above amendments shall be effective from the month of notification.

SHILPA SHINDE, Director

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2019.06.20 15:51:04 +05'30'